BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 177/2022

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA .... APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .... RESPONDENTS

NDOH: 12.10.2022

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No	C. Fee
1.	Short Reply/Counter Affidavit for and on behalf of Respondent No.5/ New Okhala Industrial Development Authority (NOIDA)	1-16	
2.	**ANNEXURE-A** A Copy of the Notification dated 28.12.2020 issued by the State of Uttar Pradesh.	17-19	
3.	**ANNEXURE-B** Copy of the Action Taken Report and the proposed action to be taken for	20-30	

	amelioration of the Ponds falling in category "A".		
4.	**ANNEXURE-C** A Copy of the Government Order dated 03.06.2016.	31-45	
5.	Vakalatnama along with ID Proof	46-48	25+3
6.	Proof of Service	49	

RESPONDENT NO. 5

Through

Dated: 11.10.2022
New Delhi

CHAUDHARY LAW OFFICES
Advocates
K-2017, (L.G.F), Chittaranjan Park,
New Delhi – 110019
Ph. Nos.: (011)- 41053797
Email: chaudharylawoffices@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 177/2022

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA .... APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .... RESPONDENTS

SHORT REPLY/ COMPLIANCE AFFIDAVIT FOR AND ON BEHALF OF RESPONDENT NO.5/ NEW OKHALA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

I, Prasun Dwivedi, S/o- Sri Om Prakash Dwivedi, aged about 33 years, working as OSD in the Office of New Okhala Industrial Development Authority, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am working as OSD in the Office of New Okhala Industrial Development Authority (Hereinafter to be referred as ***'Answering Respondent'***) and as such in my official capacity I am well acquainted with the facts and circumstances of the present case and therefore competent to swear the instant Affidavit.

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-7670/09
599
GOVT. OF INDIA

2

2. I have read the contents of the Original Application (In short to be referred as '*Application*') and the order dated 06.09.2022 and I say that the contents therein to the extent they are inconsistent with the submissions made hereinafter in this affidavit are incorrect and as such denied. Unless any averment or contention is specifically admitted or traversed, the same may be treated as denied. The Answering Respondent is filing present Short Counter Affidavit due to paucity of time and shall file a detailed Counter Affidavit as and when directed by this Hon'ble Court.

3. That the instant Application is bereft of any merit and the same has been filed by the Applicants for gaining cheap publicity and as such the same may be dismissed with exemplary cost by this Hon'ble Tribunal qua the Authority. It is humbly submitted that filing of such frivolous Application before this Hon'ble Tribunal not only consumes the precious judicial time of this Hon'ble Court but also hampers the development work being carried out by the Answering Authority for the good of public at large.

NOTARY REKHA Advocate DELHI Regd. No.-7670/09 GOVT. OF INDIA

4. That the Answering Respondent has always given the Environment and Ecology as top priority and as such has taken several steps and further continuously taking steps in line with directions passed by this Hon'ble Court for making NOIDA as more environment friendly.

5. It is humbly submitted by the Answering Respondent that although environment and ecology is important for human existence however development work is also equally important and as such any development work ought not to be hampered on trivial environment issues if the Answering Respondent has substantially complied with the Existing Environmental norms.

6. It is submitted by the Answering Respondent that this Hon'ble Tribunal ought not permit the person with vested interest to use the Environmental Law as toll for the ulterior purposes.

7. That essentially the present complaint has been filed by the applicant raising a complaint about destruction and damage of wetlands/water bodies in the district Gautam Budh Nagar and making prayer that the authorities concerned be directed to

NOTARY REKHA Advocate DELHI Regd. No.-7670/09 GOVT. OF INDIA

take steps for rejuvenation, restoration and improvement of the existing water bodies in the district and to take further steps to remove encroachment on the water bodies in the said District.

8. That the answering respondent is restricting the present short reply/ affidavit to the direction passed by this Hon'ble Court vide order dated 06.09.2022 and crave leave to file a detailed counter-affidavit as and when directed by this Hon'ble Court.

9. That as per section 4 r/w section 6 of the erstwhile Uttar Pradesh Zamindari Abolition & Land Reforms Act, 1950, notwithstanding anything contained in any contract or document or in any other law for the time being in force, all rights, title and interest of all the intermediaries in every estate in such area including land, fisheries, tanks, ponds, water-channels etc. shall cease and be vested in the State of Uttar Pradesh free from all encumbrances. Further section 117 of the said Act empowered the State Government to vest such right in Goan Sabha or any other local authority by a general or special order.

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-
GOVT. OF

5

10.Thus, the ponds, water-bodies in question vested with the state Government or the Goan Sabha.

11.The aforesaid UP Z.A & LR Act, 1950 was succeeded by the U.P Revenue Code, 2006. Even in the Uttar Pradesh Code, 2006 by virtue of section 54 of the Code, all right in or over the ponds, water bodies etc. came to be vested with the State Government. Further section 59 of the said code inter-alia contained:

59. Entrustment of land etc. to Gram Panchayats and other local authorities. - (1) The State Government may, by general or special order to be published in the manner prescribed, entrust all or any of the things specified in subsection (2), which vest in the State Government, to a Gram Panchayat or other local authority for the purposes of superintendence, preservation, management and control in accordance with the provisions of this Code.

(2) The following things may be entrusted to a Gram Panchayat or other local authority under sub-section (1), namely-

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-
GOVT.

(i) *lands, whether cultivable or otherwise, except land for the time being comprised in any holding or grove;*

(ii) *grove standing on the Gram Panchayat land, pasture land, graveyard, cremation ground, manure pits, Khaliyans, Chakroads, link roads, sector roads, land in river bed, road, Sadak Khanti, Sullage farm;*

(iii) *forests and fisheries;*

(iv) *trees, other than trees in a holding or on the boundary of a holding or in a grove or abadi, or any trees on unoccupied land;*

(v) *hats, bazaars, melas, tanks, ponds, water-channels, private ferries, pathways and abadi sites;*

(vi) *subject to the provisions of the Treasure Trove Act, 1878, any properties specified in section 55 and belonging to the State Government.*

(3) *Every land and other thing-*

(a) *vested in a Gram Panchayat or any other local authority under the provisions of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, or the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960;*

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-7670/09
GOVT. OF INDIA

7

(b) placed under the charge of a Gram Panchayat or any other local authority under any of the enactments repealed by this Code;

(c) otherwise coming into possession of a Gram Panchayat or other local authority, either before or after the commencement of this Code;

shall be deemed to be entrusted to such Gram Panchayat or other local authority, as the case may be, with effect from the date of commencement of this Code or from the date of such coming into its possession, for the purpose of superintendence, preservation, management and control, in accordance with the provisions of this Code.

(4) The State Government may, by a subsequent order to be published in the manner prescribed, -

(a) add to, amend, vary or rescind any earlier order issued under sub-section (1);

(b) transfer to any other Gram Panchayat or other local authority, any land or other thing entrusted or deemed to be entrusted under sub-section (1) or subsection (3) for superintendence, preservation, management and control;

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-7670/09
GOVT. OF INDIA

(c) resume any land or other thing so entrusted or deemed to be entrusted, or transferred to any Gram Panchayat or local authority on such terms and conditions as prescribed;

(d) impose conditions and restrictions subject to which the powers of superintendence, preservation, management and control under this section shall 28 be exercised.

(5) Where any of the things specified in sub-section (2) has been entrusted or deemed to have been entrusted to a Gram Panchayat, and the village or any part thereof in which such things are situated lies outside the circle of the Gram Panchayat, such Gram Panchayat or its Bhumi Prabandhak Samiti shall, subject to any general or special order issued by the State Government in this behalf, perform, discharge and exercise the functions, duties and powers assigned, imposed or conferred by or under this Code or the U.P. Panchayat Raj Act, 1947 on a Gram Panchayat or a Bhumi Prabandhak Samiti as if that village or part also lay within that circle.

(6) Where any of the things specified under sub-section (2) has been entrusted or deemed to be entrusted to a local authority

NOTARY REKHA Advocate DELHI Regd No.-7670/09 ... OF INDIA

other than the Gram Panchayat, the provisions of this Chapter shall mutatis mutandis apply to such local authority

12. That it is submitted with great respect that as per law, right, title and interest in these ponds, water channels etc. are vested with the State Government or entrusted to a Gram Sabha as per section 54 or section 59 of the UP-Revenue code of 2006 (management of village ponds to be as per section 61 of the Code). Thus, these ponds can neither be acquired, nor resumed by the Authority and hence there was no power with the Authority concerned to remove the encroachment etc. on these ponds. Further, it may be relevant to mention herein that as per section 67 of the Code, it is the Revenue Authority concerned, who has power to prevent damage, misappropriation, and wrongful occupation of Gram Panchayat properties.

13. That vide a Notification dated 28th of December, 2020 the State of Uttar Pradesh, in exercise of power vested under Article 213(1) of the constitution of India amended the Revenue code to include explanation after section 59(6) of the

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regn. No.-7670/09
GOVT. OF INDIA

Revenue Code. As per this amendment, the following was inserted:

> Explanation—For the purpose of this section the word "Local Authority" includes Kshettra Panchayat, Zila Panchayat, Town Area, Notified Area, Cantonment Area, Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Mahapalika, Nagar "Nigam, Noida Vikas Pradhikaran, Greater Noida Vikas Pradhikaran, Yamuna Expressway Vikas Pradhikaran or any Industrial township declared as an Industrial Development Area under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 under Article 243-Q of the Constitution of India.

A copy of the said notification is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-A.**

14. Thus, in the humble submission of the Authority it was with effect from 28th of December, 2020 that these ponds, water bodies came to be vested with the authority concerned and even when these ponds, water bodies etc. there is no power vested with the authority to take action against encroachment

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-7670/09
GOVT. OF INDIA

on this water bodies, as every time the authority has to fall back & approach the revenue authorities under section 67 of the revenue code only for removal of these encroachments.

15. As far as the answering respondent/ NOIDA is concerned, immediately after the service of the order dated 06.09.2022, the authority mobilized its men & machinery to identify the Ponds/ water bodies as has been mentioned in the said order. Having due regard to the order and the joint committee report filed by the state authorities concerned, it is contended by NOIDA that there are about 1000 ponds in the district of Gautam Budh Nagar, wherein the location of each pond can be enumerated in seriatim as being 1 to 474 falling in Tehsil-Dadri, serial No. 475 to 755 falling in Tehsil- Jewar and Serial no. 756 to 1000 in Tehsil- Sadar.

16. Based on this list, about 67 ponds have been identified falling under the area notified by NOIDA, the category thereof which can be further bifurcated as herein below:

NOTARY REKHA Advocate DELHI Regd. No.-7670/09 GOVT. OF INDIA

12

A.	Ponds which are in existence fully or partially	13 ponds
B.	Ponds on which development work like road, green belt, public utility houses, Smarak park etc	08 ponds
C.	Ponds on which factory, group housing, industrial plots have been allotted	06 ponds
D.	Ponds on which dense population exited even before the same came to be vested with NOIDA on 28.12.2020 and as such it is the prerogative of District Administration to clear the encroachment in terms of section 67 of the Revenue Code	40 ponds
	Total	67 Ponds

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-7670/03
GOVT. OF INDIA

17. As far as the ponds falling in category "A" is concerned, the authority is taking all steps for the purpose of amelioration/rejuvenation of these ponds and is in the process of accumulating and collating the ground realties to assess the time, which would take for its complete amelioration. Keeping in mind that these ponds came to be vested with the authority only by virtue of notification dated 28th of December, 2020. The authority is filing a detailed action taken report and the proposed action to be taken for amelioration of these ponds along with the current photographs of some of the ponds, which are being annexed herewith as **ANNEXURE-B.**

18. As far as the ponds falling in category "B" & "C" is concerned, since development works like road, green belt, public utility houses, Smarak park etc. already stands on these portions and these structures had been over a period of time. Further, allotment had been done since the year 1978 and the even the last allotment had been in the year 2007. Thus, it is submitted with great respect that the authority keeping in view the significance & impact of water bodies to environment, begs to provide alternate ponds/water bodies as envisaged under

NOTARY REKHA Advocate DELHI Regd. No.-1570/09 GOVT. OF INDIA

Government Order dated 03.06.2016, which is meant for certain extraordinary circumstances, with the stipulation that 25% larger alternate waterbodies be developed elsewhere for and in place of the existing water bodies. The authority would further seek 3 months time to file a time-schedule for completing the said process of identification etc., having due regard to the size & number of ponds for relocation in case the Hon'ble NGT so directs keeping in view the extraordinary circumstances of this case. A copy of the Government order dated 03.06.2016 is being annexed herewith as **ANNEXURE-C.**

19. As far as the ponds falling in category 'D" is concerned, this Hon'ble Court may issue appropriate directions to the revenue authority for removal of encroachment. It may be pertinent to mention herein that the revenue authority had been vested with the right, title & interest of these ponds prior to 28th of December, 2020 and under the Revenue Code it the revenue authority only, which is empowered to remove the encroachment in view of section 67 of the UP Revenue Code, 2006.

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-7670/09
GOVT. OF INDIA

15

20. Having said so, the answering respondent most respectfully also submits that these Ponds existed and were re-charged by water from its catchment area falling adjoining to the said pond. Thus, once, the area around the pond has been developed and drainage system came in place, the water coming from the catchment area water finds its way into the drainage system and not to the pond. Thus, these ponds dried up during the passage of time, due to no water from the catchment area. Further, due to the drainage system and the depleting water table, the natural pond has no water to be charged, rather for its existence it has to depend on artificial source.

21. It is, therefore, most humbly and respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be graciously pleased to dismiss the present Original Application filed by the Applicant qua the NOIDA authority with exemplary cost as the same is bereft of any merit.

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-7670/09
GOVT. OF INDIA

16

22. I say that the contents hereof are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed thereof.

DEPONENT

प्रसून द्विवेदी
विशेष कार्यधिकारी
नौएडा

VERIFICATION

11 OCT 2022

Verified at NEW DELHI on this 11 day of OCT , 2022 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

प्रसून द्विवेदी
विशेष कार्यधिकारी
नौएडा

(D/412-11/2000)

Identify the Deponent who has signed in my presence

NOTARY
REKHA
Advocate
DELHI
Regd. No.-13709
GOVT. OF INDIA

CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri/Smt. Prasun Dwivedi
S/o, Wo, D/o, Shri Om Prakash Dwivedi
R/o ....
Identified by Shri...........
Has solemnly affirmed before me at New Delhi
on 11 OCT 2022 that the contents of this affidavit
which has been read over & expilaned to him/her are true
correct to her knowledge.

Rekha

11 OCT 2022

 ANNEXURE-A 17

दिनाँक 28 दिसम्बर, 2020 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-2 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या-2164/79-वि-1-20-2(क)24/2020

लखनऊः दिनाँकः 28 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020) जिससे राजस्व अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः-

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

संख्या-2164(1)/79-वि-1-20-2(क)24/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
8- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9- संसदीय कार्य अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10- भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
विधायी अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

18

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–22 सन् 2020)

(भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:—

संक्षिप्त नाम

1— यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (6) का संशोधन

2— उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 59 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण;

इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द ''स्थानीय प्राधिकरण में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन 'औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।''

धारा 80 का संशोधन

3— मूल अधिनियम की धारा 80 में, उपधारा (2) का प्रथम परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

19

धारा 89 की उपधारा (2) का संशोधन

4– मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (2) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा।

धारा 89 की उपधारा (3) का संशोधन

5– मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा, या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा कय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की दस प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा कय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है।

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।

ANNEXURE – B

20

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित OA No.177/2022, Abhist Kusum Gupta Vs. State of U.P. & Others के संबंध में जिला प्रशासन से तालाबों की सूची प्राप्त की गयी, जिसमें 1000 तालाबों का विवरण है, जिसमें से क्रमांक 1 से 474 तहसील - दादरी, 475 से 755 तहसील - जेवर व 756 से 1000 तक तहसील-सदर से संबंधित है। इस सूची के आधार पर नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 67 तालाबों को चिन्हित किया गया व इनका स्थलीय सर्वे किया गया। नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के तालाबों के सर्वे में तीन प्रकार की स्थितियॉ पायी गयी, जिसका समेकित विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	तालाब जो अस्तित्व मे है/आंशिक रूप से तालाब।	13
2.	ऐसे तालाब जिनपर विकास कार्य किया गया।	08
3.	ऐसे तालाब जिनपर परिसम्पत्तियों का आवंटन किया गया।	06
4.	तालाब जिनपर पुरानी सघन आबादी विद्यमान होने के कारण कार्यवाही जिला प्रशासन से अपेक्षित है।	40
	कुल योग	67

21

उपरोक्त तॉलिका को अनुसार 13 ऐसे तालाब जो अस्तित्व में है अथवा उनपर आंशिक रूप से तालाब है/तालाब अतिक्रमित है की खुदाई कराकर तालाबों के सम्पूर्ण रकबे को रिक्त कराने हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पत्र दिनाँक 06.10.2022 के द्वारा उप महाप्रबन्धक (सिविल) को निर्देशित किया गया था। इस संबंध में उप महाप्रबंधक (सिविल) द्वारा Action Plan/Action Taken Report प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित तालाबों की खुदाई/ सौन्दर्यीकरण के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हॉ/ना	अभियुक्ति/कृत कार्यवाही/ Action Plan
1.	सदरपुर	165/0.379	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है।
2.	झट्टा	213/0.1897	तालाब व रिक्त भूमि 1000 वर्ग मी., सघन आबादी 897 वर्ग मी. लगभग	हॉ (आंशिक)	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है। मौके पर विद्यमान आंशिक आबादी के संबंध में राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को पत्र प्रेषित किया गया है।
3.	झट्टा	246ख/0.3540	तालाब निर्मित 2500 वर्ग मी. रास्ता 1040 वर्ग मी. लगभग	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है।
4.	कोंडली बांगर	176/0.1265	तालाब निर्मित	नही	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है।
5.	कोंडली बांगर	392/0.3790	तालाब निर्मित 1500 वर्ग मी. व सड़क तथा जुनियर हॉई स्कूल के परिसर में 1290 वर्ग मी0 लगभग	नही	मौके पर आंशिक भाग पर तालाब अपने स्वरूप में विद्यमान है । साथ ही तालाब का बोर्ड भी लगा दिया गया है।

6.	गुलावली	608ख/0.0885	मौके पर 500 वर्ग मी0 रिक्त है शेष भूमि पर आबादी है।	हॉ (आंशिक)	मौके पर रिक्त भूमि पर बोर्ड लगा दिया गया है। विद्यमान आंशिक आबादी के संबंध में राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को पत्र प्रेषित किया गया है।
7.	गुलावली	638/1.391	बारातघर 6000 वर्ग मी. तालाब निर्मित 2800 वर्ग मी. रिक्त 4110 शेष 1000 पर आबादी है लगभग	हॉ (आंशिक)	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है। मौके पर विद्यमान आंशिक आबादी के संबंध में राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को पत्र प्रेषित किया गया है।
8.	बादौली बांगर	374/0.2530	तालाब निर्मित 1500 वर्ग मी. में तथा 1030 वर्ग मी. में मंदिर, मकान लगभग	हॉ (आंशिक)	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है। मौके पर विद्यमान आंशिक आबादी के संबंध में राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को पत्र प्रेषित किया गया है।
9.	हजरतपुर वाजिदपुर	116/ 0.3670	मौके पर तालाब निर्मित है व आंशिक भाग पर सड़क का निर्माण किया गया है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है।
10.	भूड़ा	169/ 0.0632	मौके पर भूमि समतल है।	नहीं	मौके पर भूमि रिक्त है दिनांक 10.11.2022 तक तालाब खुदाई की कार्यवाही करा ली जायेगी।

11.	सालारपुर खादर	411/0.2024	आंशिक भूमि पर तालाब बना है व शेष भूमि पर सघन आबादी	हॉ (आशिक)	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है। मौके पर विद्यमान आंशिक आबादी के संबंध में राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को पत्र प्रेषित किया गया है।
12.	शहदरा	240/0.670	तालाब निर्मित है।	नहीं	तालाब अपने स्वरूप में मौके पर विद्यमान है और मौके पर बोर्ड लगा दिया गया है।
13.	अगाहपुर	630/0.035	सेक्टर 42 के अंतर्गत रिक्त है।	नहीं	मौके पर भूमि रिक्त है एवं तालाब का चिन्हाकंन किया जा चुका है। दिनांक 10.11.2022 तक तालाब खुदाई की कार्यवाही करा ली जायगी।

24

उक्त तालाब स्थलों के कुछ फोटोग्राफ्स

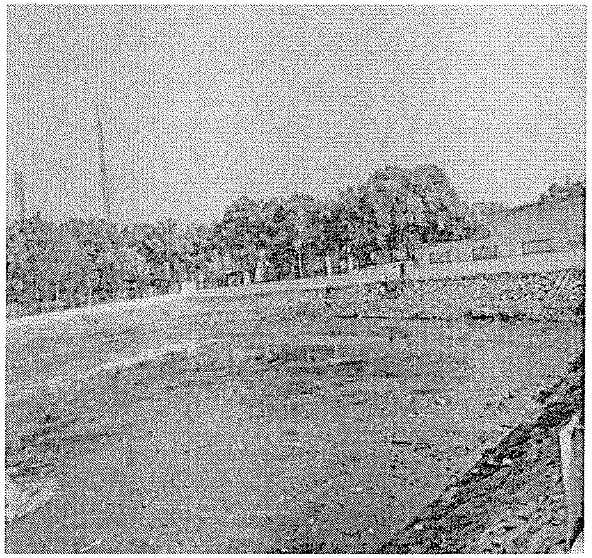

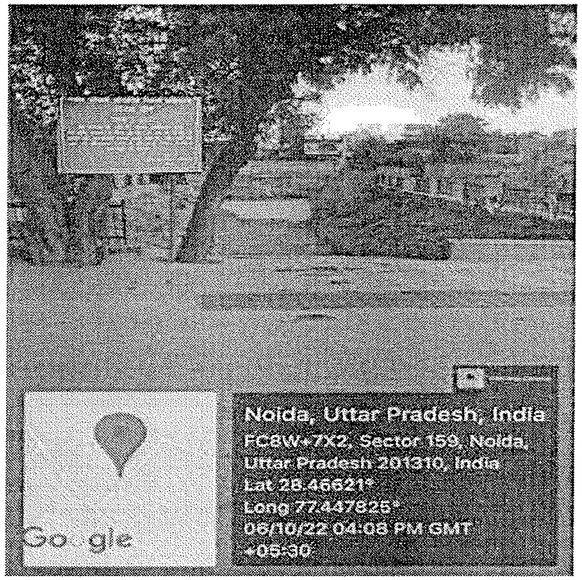

25

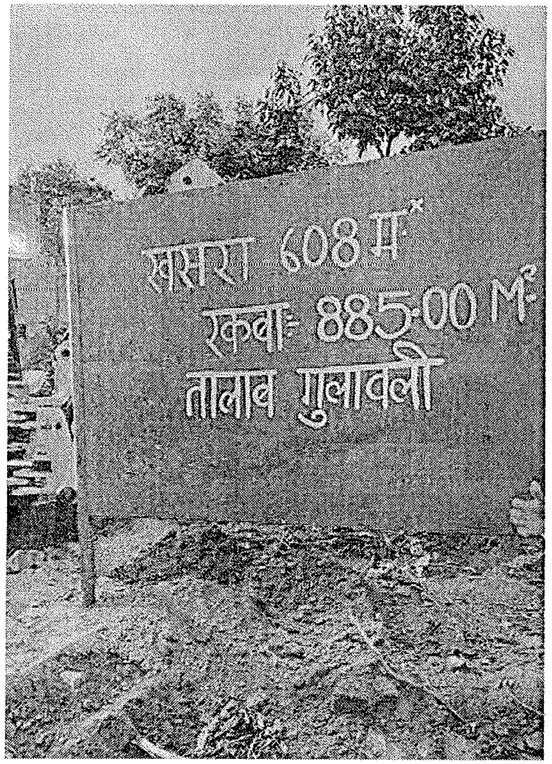
खसरा 608 म
रकबा= 885.00 M
तालाब गुलावली

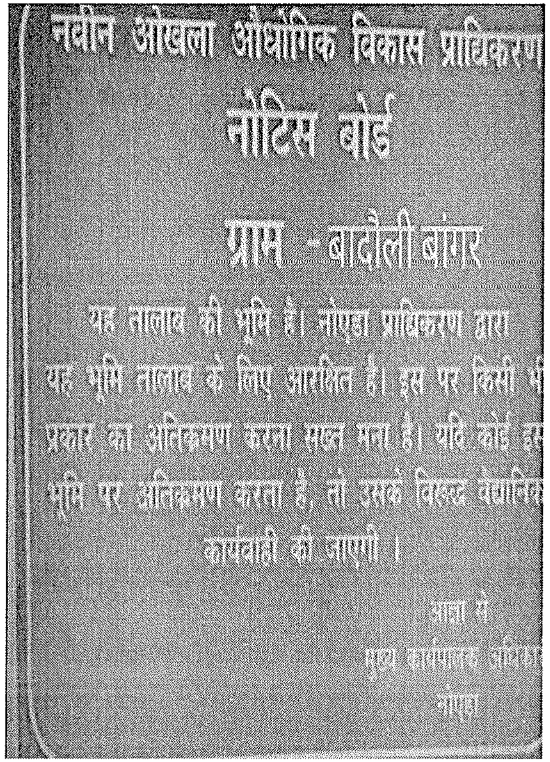
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
नोटिस बोर्ड
ग्राम - बादौली बांगर
यह तालाब की भूमि है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा
यह भूमि तालाब के लिए आरक्षित है। इस पर किसी
प्रकार का अतिक्रमण करना सख्त मना है। यदि कोई
भूमि पर अतिक्रमण करता है, तो उसके विरुद्ध
कार्यवाही की जाएगी ।
आज्ञा से
मुख्य कार्यपालक
नोएडा

26

इसी प्रकार 08 तालाब ऐसे हैं जिनपर विकास कार्य किया जा चुका है। ऐसे तालाबों का विवरण निम्नवत है:-

नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित तालाब जिनपर विकास कार्य किया जा चुका है:-

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हॉ/ना	अन्य विवरण
1.	हरौला	183/0.1260	45 मीटर सड़क बनी हुई है।	नहीं	
2.	मामूरा	135क/ 0.0557	नौएडा द्वारा विकसित ग्रीन बेल्ट	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
3.	मामूरा	293/0.152	नौएडा विकास के अंतर्गत ग्रीन बेल्ट	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
4.	मामूरा	297/0.139	नौएडा विकास के अंतर्गत ग्रीन बेल्ट	नहीं	मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
5.	छजारसी	246/2 / 0.0760	बारातघर निर्मित	नहीं	
6.	सुल्तानपुर	209/0.3420	सड़क निर्मित	नहीं	
7.	निठारी उर्फ सुठारी	186/0.051	सेक्टर 29 के अंतर्गत शहीद स्मारक पार्क बना है।	नहीं	
8.	चौडा सादातपुर	553/0.528	जल संरक्षण जलाशय	नहीं	मौके पर चारदीवारी बनी है। नौएडा प्राधिकरण के जल विभाग द्वारा रिजर्व वायर एवं पानी का टंकी बनी हुई है।

27

इसी प्रकार 06 तालाब ऐसे है जिनपर परिसम्पत्तियों का आवंटन किया जा चुका है। ये स्थल वर्तमान में खाली नहीं है एवं तालाब के स्वरूप में लाया जाना सम्भव नहीं है। ऐसे तालाबों जिनका आवंटन किया जा चुका है, का विवरण निम्नवत है:-

नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित तालाब जिनपर परिसम्पत्तियों का आवंटन किया जा चुका है (आवंटन वर्ष के साथ)

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हॉ/ना	अन्य विवरण
1.	हरौला	824/0.2280	सडक व फैक्ट्री बनी हुई है।	नहीं	आवंटन वर्ष 1978
2.	हरौला	109/1.985	फैक्ट्री बनी है।	नहीं	आवंटन वर्ष 1984
3.	होशियारपुर	167/0.481	नौएडा द्वारा आवंटित संस्थागत भूखण्ड के अंतर्गत है	नहीं	आवंटन वर्ष 2006
4.	होशियारपुर	416ख/0.215	नौएडा द्वारा आवंटित ग्रुप हाउसिंग के अंतर्गत है।	हॉ	आवंटन वर्ष 2007
5.	मामूरा	136/ 0.0101	औद्योगिक भूखण्ड के अंतर्गत	नही	आवंटन वर्ष 2001
6.	मामूरा	138/0.0266	औद्योगिक भूखण्ड के अंतर्गत	नहीं	आवंटन वर्ष 2001

28

नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में 40 ऐसे तालाब है, जिनपर वर्षो से सघन आबादी विद्यमान है व परिवार निवास कर रहे है/ काश्तकारों का कब्जा है और जिनका कब्जा भी नौएडा को प्राप्त नहीं है, ऐसे तालाबों पर उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 67 (पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम धारा 122बी) के अधीन कार्यवाही राजस्व विभाग से अपेक्षित है। ऐसे 40 स्थलों का विवरण निम्नवत है:-

नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में ऐसे तालाब जिनपर वर्षो से सघन आबादी विद्यमान है

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	तालाब का खसरा/रकबा	मौके की स्थिति	क्या आबादी है, हॉ/ना	अन्य विवरण
1.	बहलोलपुर	169/ 0.304	डूब क्षेत्र में स्थित है, जिसपर घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हॉ	
2.	बहलोलपुर	215/0.304	डूब क्षेत्र में स्थित है, जिसपर घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हॉ	
3.	बहलोलपुर	229/0.126	डूब क्षेत्र में स्थित है, जिसपर घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हॉ	
4.	हरौला	954/3.084	आबादी	हॉ	
5.	सदरपुर	82/0.038	आबादी	हॉ	
6.	सदरपुर	458/0.506	आबादी	हॉ	
7.	सदरपुर	597/0.051	आबादी	हॉ	
8.	बरौला	784/0.708	आबादी	हॉ	
9.	बरौला	806/0.215	आबादी	हॉ	
10.	गेझा तिलपताबाद	210/0.4810	मंदिर निर्माण	नहीं (धार्मिक संरचना)	
11.	बसी बह्लाउद्दीननगर	121/ 0.3410	आबादी	हॉ	

12.	सौरखा जाहिदाबाद	233/1.1260	आंशिक भाग पर विस्तारित आबादी	(आंशिक) हॉ	
13.	सौरखा जाहिदाबाद	359/0.3795	आंशिक भूमि पर सघन आबादी व आंशिक भूमि रिक्त	(आंशिक) हॉ	
14.	सौरखा जाहिदाबाद	360म/1.8304	आबादी	हॉ	
15.	सौरखा जाहिदाबाद	225/0.0885	आबादी	हॉ	
16.	सौरखा जाहिदाबाद	229/0.2150	आबादी	हॉ	
17.	सौरखा जाहिदाबाद	654/0.1518	आंशिक भूमि रिक्त व शेष भूमि पर सघन आबादी	हॉ	
18.	झट्टा	208ख/0.3668	सघन आबादी	हॉ	
19.	भंगेल बेगमपुर	95मि/0.051	सघन आबादी	हॉ	
20.	शाहपुर गोवर्धनपुर बांगर	31/0.1260	सघन आबादी	हॉ (आंशिक)	
21.	शाहपुर गोवर्धनपुर बांगर	33/1.012	सड़क 1000 वर्ग मी. ग्रामीण आबादी 6000 वर्ग मी. छूटपुट मकान 3020 वर्ग मी0 लगभग	हॉ (आंशिक)	
22.	सुल्तानपुर	493/1.0250	सड़क 2000 वर्ग मी. छूटपुट मकान 4000 वर्ग मी. व रिक्त 4250 वर्ग मी0 लगभग	हॉ (आंशिक)	
23.	सुल्तानपुर	512मि/0.2530	सघन मकान	हॉ	
24.	रसूलपुर नवादा	36ब/ 0.3162	सघन आबादी	हॉ	
25.	पर्थला खंजरपुर	214म/0.253	सघन आबादी	हॉ	
26.	पर्थला खंजरपुर	214म/0.506	सघन आबादी	हॉ	
27.	पर्थला खंजरपुर	281म	सघन आबादी	हॉ	
28.	चोटपुर	538/0.051	डूब क्षेत्र में स्थित है, जिसपर घनी विस्तारित आबादी बनी है।	हॉ	
29.	निठारी उर्फ सुठारी	241म/0.076	सघन आबादी	हॉ	

30.	निठारी उर्फ सुठारी	251/1.201	सघन आबादी	हॉ	
31.	वाजिदपुर	93 /0.190	सघन आबादी	हॉ	
32.	छजारसी	216/0.0890	सघन आबादी	हॉ	
33.	शर्फाबाद	161/29 रकबा 0.4050	सघन आबादी	हॉ	
34.	गिझोड़	96म/ 0.152	सघन आबादी	हॉ	
35.	मोरना	150/0.0220	सघन आबादी	हॉ	
36.	नगला चरणदास	62मि/0.582	सघन आबादी	हॉ	
37.	चौडा सादातपुर	564/1.619	सघन आबादी	हॉ	
38.	चौडा सादातपुर	613/0.354	सघन आबादी	हॉ	
39.	शहदरा	520/0.442	0.221 हे0 में सघन आबादी व 0.221 हे0 पर बारातघर निर्मित है।	हॉ (आंशिक)	
40.	शाहपुर गोवर्धनपुर खादर	401/0.0510	प्रश्नगत खसरा संख्या डूब क्षेत्र में स्थित है, मौके पर काश्तकारों द्वारा कब्जा कर खेती की जा रही है।	-	

31

ANNEXURE - C

संख्या- 744 /एक-1-2016-20(51)/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016

विषय:- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि/वस्तुएं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियां वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियां थीं, जिन्हें मात्र प्रबन्धन के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को निरसित कर दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हो। उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज (वस्तुएं), जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो, उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ

-2-

इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में सौंपा हुआ समझा जायेगा। स्थानीय निकाय को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो तत्समय ग्राम पंचायत को प्राप्त रहे हों। ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 से शासित भूमि को किसी अन्य रीति/प्रकार से व्यवस्थित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में व्यवस्था है कि उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन/संशोधन/परिवर्तन या उसे निरस्त कर सकती है और धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय, वापस ले सकती है अर्थात् किसी भी समय ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 126 की उपधारा (1) में विहित वरीयता क्रम के अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 25 तथा 27 (2) के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टे पर देकर उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों और निजी प्रयोजनों/उद्योगों के निमित्त भूमि उपलब्ध कराये जाने में सामन्जस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित भावी पथ प्रदर्षन्तर्थ सामान्य सिद्वान्त निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

4(1)(क) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में

33

प्राप्त तथा अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में वर्णित क्रमानुसार केवल पात्र व्यक्तियों के आवंटन तक ही सीमित रखा जायेगा। इस प्रकार की भूमि सिद्वान्ततः अधिनियम की प्राथमिकताओं मे आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जायेगी, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों के अभिप्राय के अनुसार उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर सर्वप्रथम अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्गो के व्यक्तियों का ही है।

(ख) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त एवं अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित की जायेगी।

(ग) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों में आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षण के बाद भी शेष बचती है, तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उपलब्ध करायी जायेगी। भारत सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय, विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्रासियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्रासियॉ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(घ) यदि ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पात्र व्यक्तियों की आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए ही पर्याप्त हो, तो राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की

आवश्यकता की पूर्ति हेतु अर्जन की कार्यवाही के माध्यम से भूमि की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रतिबन्ध सड़क, नहर तथा नलकूप आदि के निर्माण के लिए लागू न होगा, क्योंकि प्रश्नगत योजनाएं क्षैतिज में अर्थात् 180 डिग्री पर चलती हैं और उनके लिए उपर्युक्त प्रतिबन्ध लगाने से उनके कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रतिबन्ध ऐसे क्षेत्रों के लिए भी लागू नहीं होगा जहाँ ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894/भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के बीच में पड़ती हो।

(ङ) जहां तक राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को भूमि देने में पारस्परिक वरीयता का प्रश्न है, सेवारत विभागों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा अन्य दशा में उस विभाग को वरीयता दी जायेगी जिसके द्वारा पहले भूमि की मांग की गयी हो।

(च) निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उसी दशा में उपलब्ध करायी जायेगी, जब भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन, ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता एवं ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए भूमि आरक्षण और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी शेष रहती हो। निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास की आवश्यकता के लिए भूमि सर्वाधिकार सहित देने के बजाय पट्टे पर एक निर्धारित अवधि के लिए दी जायेगी।

(छ) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों को भूमि सःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। केवल निजी क्षेत्र को भूमि, मूल्य लेकर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर (भूमिधरी अधिकार नहीं) दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(ज) भूमि को पुनर्ग्रहीत किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा कि यह

35

वस्तुतः ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है।

(झ) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(ट) आसामी तथा लाइसेन्सदार के अध्यासन वाली भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। पुनर्ग्रहण के पूर्व यह भी देख लेना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित भूमि पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-76 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सीरदार/असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार तो नहीं मिल गये है। यदि हां, तो उस भूमि का पुनर्ग्रहण न होगा बल्कि यथा नियम भूमि अध्यासि की कार्यवाही अमल में लानी होगी।

(ठ) पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि पर ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 के उप नियम (3) के अनुसार प्रतिकर देय होगा।

(ड) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, उसकी प्रास्थिति के बारे में स्थिति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट की जायेगी अर्थात् भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, वह राज्य सरकार का सेवारत या वाणिज्यिक विभाग है या भारत सरकार का विभाग है या निजी क्षेत्र है।

(ढ) नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी जो भारत सरकार को भूमि के हस्तान्तरण हेतु पृथक से यथाआवश्यक आदेश जारी करेंगे।

(ण) शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों की संस्तुति पर ही जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जायेगा और पुनर्ग्रहीत भूमि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों के निवर्तन पर रखी जायेगी जो उसके हस्तान्तरण हेतु पृथक से आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

(त) भूमि की कीमत तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिये जाने के बाद ही पुनर्ग्रहीत/विनिमय की गयी भूमि का कब्जा प्रशासकीय विभागों को दिया जायेगा।

(थ) प्रशासकीय विभाग को पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग को वापस किया जायेगा तथा निर्धारित

36

प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(द) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के कार्यालय में पुनर्ग्रहण की गयी भूमियों/वस्तुओं का विवरण क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध रहना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु कार्यालयों में आकार-पत्र-3 में एक रजिस्टर रखा जायेगा और प्रत्येक पुनर्ग्रहण का आदेश उसमें अंकित होने तथा सम्बन्धित अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्गत किया जायेगा।

(ध) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण आदेशों तथा त्रुटियों के निराकरण हेतु मानक आकार पत्र-1 संलग्न है। संलग्न मानक आकार पत्र-1 के आधार पर ही पुनर्ग्रहण के आदेश जारी किये जायेंगे।

(न) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि का विवरण संलग्न आकार पत्र-2 एवं 3 में षटमासिक रूप से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को भेजा जायेगा, जिसे संकलित कर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा शासन को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी व 31 जुलाई को भेजा जायेगा।

(प) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा राजस्व परिषद के अधिकारियों के दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण कार्य मण्डल व जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन हो रहा है। संलग्न आकार पत्र-2 में षटमासिक विवरण-पत्र परिषद के माध्यम से शासन को यथा समय प्राप्त होते रहें।

4(2) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियन की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहां यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार के सेवारत विभागों हेतु उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

4(3) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

37

03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रूपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

4(4) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (दो), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की शक्ति शासन में निहित होगी। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

4(5) उपरिलिखित प्रस्तर-4 (1) में विहित सामान्य सिद्वान्तों के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ संबंधित जिलाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम के समस्त पात्र व्यक्तियों की भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम में समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है अथवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-8-

38

4(6) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, गाटा संख्या, रकबा (हेक्टेअर में) एवं भूमि की श्रेणी/प्रकृति का उल्लेख करते हुए संगत अभिलेखों, अपेक्षित प्रमाण-पत्रों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से राजस्व अनुभाग-1 को भेजे जायेंगे। पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव हेतु ऐसी भूमि का चयन न किया जाय जो हिन्चलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेश या किसी मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हो।

5. जब विकास की बड़ी योजनाओं/कार्यो हेतु भूमि का बड़ा क्षेत्रफल क्रय/अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियां, जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, यथा-चकरोड, चकमार्ग, रास्ता, नाली, नाला, खलिहान, होलिका स्थल, खाद के गड्ढे, पशुचर, हड़ावर, श्मशान स्थल व तालाब /पोखर आदि भी स्वाभाविक रूप से आते है। इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का कार्य तो बाधित होता ही है साथ ही ग्रामीणों को असुविधा भी होती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के शासन स्तर पर पुनर्ग्रहण/विनिमय या किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में परिवर्तन पर विचार किये जाने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्वान्तों का निर्धारण किया जाता है:-

5(1) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु नि:शुल्क भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। अतएव पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि के बराबर ही उसी ग्राम पंचायत की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नहीं) उसी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करते हुए पुनर्ग्रहण एवं विनिमय किया जायेगा।

5(2) राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र को भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित योजना की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से गाटा संख्या, रकबा, भूमि की श्रेणी/प्रकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग तथा दोनों भूमियों से संबंधित एक रंगीन मानचित्र अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

5(3) किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहीत भूमि से घिरे ऐसे चकरोड, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि

की भूमि, जो संस्था की बाउन्ड्री के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होते हैं अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(4) ऐसे चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि जो संस्था की बाउन्ड्री के अंदर से होते हुए उसकी बाउन्ड्री के बाहर भी जाते हैं जिसके कारण ये सार्वजनिक उपयोग में आने योग्य हैं, का पुनर्ग्रहण सामान्यतया न किया जाय। यदि संस्था सुरक्षा आदि के कारणों से उसका पुनर्ग्रहण चाहती है, तो इससे पूर्व संस्था से उनकी बाउन्ड्री के किनारे उनके स्वामित्व की भूमि से सार्वजनिक प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही उनकी बाउन्ड्री के अंदर आने वाले चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि भूमियों को विनिमय द्वारा संस्था को उपलब्ध करा दिया जाय जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय/अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। यह विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। संस्था की भूमि से विनिमय किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

5(5) क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत की ऐसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं यथा-पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गडढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता तो है, किन्तु संस्था के बड़े क्षेत्रफल के अंदर आ जाने के कारण इसका सार्वजनिक प्रयोग असुविधाजनक हो गया है, को पुनर्ग्रहण करने के लिये संस्था द्वारा उन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के बदले उतनी ही भूमि उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में अवस्थित अपने स्वामित्व की भूमि से ऐसे स्थल पर विकल्प के रूप में उपयोगिता के आधार पर विनिमय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ यथा-पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि की वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, तो ऐसी भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर सःशुल्क पुनर्ग्रहण संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा। लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का मूल्य भी देय होगा।

5(6) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम

40

-10-

मामला बैंची व अन्य, सिविल अपील संख्या-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2013 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 क्षेत्रिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला तथा अन्य जल प्रणालियों इत्यादि की भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्देश पर्यावरण की सुरक्षा तथा भौगोलिक पारिस्थितिकी को बनाये रखने के दृष्टिगत दिये गये हैं। यदि विकास की बड़ी परियोजनाओं हेतु क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि आती है, तो उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण के बिना विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पर इस प्रतिबन्ध के अधीन विचार किया जा सकेगा कि संस्था द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप तालाब/पोखर/घौला आदि के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भाँति तालाब/पोखर/घौला आदि का प्राकृतिक स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता तथा नैसर्गिक जल प्रवाह को यथावत् बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संस्था सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाने में सक्षम न हो तो ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सके ताकि ग्राम वासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सकें। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनिमय के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर तालाब/पोखर/घौला आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की दशा में संस्था से भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा कलेक्टर तालाब/पोखर/घौला आदि की उपयोगिता के आधार पर समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा संस्था को हस्तान्तरित करेंगे। यह कार्यवाही 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जायेगी ताकि ग्राम वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण सूचना तथा जाँच रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय विभाग, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को 45 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5(7) कब्रिस्तान, श्मसान तथा धार्मिक स्थलों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा और यदि ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत भूमि की सीमा के भीतर आती हो, तो संस्था द्वारा इसके सार्वजनिक प्रयोग हेतु संपर्क मार्ग दिया जायेगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनमें से किसी एक का पुनर्ग्रहण

-11-

41

अनिवार्य हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा यह देख लेना आवश्यक होगा कि ऐसी भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका तो नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

5(8) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का संस्था की भूमि से विनिमय की अनुमति शासन द्वारा दी जायेगी। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अधीन कलेक्टर द्वारा विनिमय का प्रस्ताव संगत अभिलेखों एवं रंगीन मानचित्र के साथ शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किये जायेगें। प्रशासकीय विभाग विनिमय के प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5(9) जनपद/मण्डल/शासन स्तर पर भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत होने से पूर्व प्रस्तावित भूमियों पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। अतएव कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगें कि जब तक प्रस्तावित भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश कलेक्टर/मण्डलायुक्त या शासन स्तर से निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य/कब्जा आदि न होने पाये। यदि बिना पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत हुए प्रस्तावित भूमि पर कोई निर्माण कार्य/कब्जा आदि किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित कलेक्टर स्वंय उत्तरदायी होगें।

5(10) सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बदले शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य निर्धारित सभी शर्तो का अनुपालन कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5(11) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च गुणवत्ता की जीवन पद्धति वाले आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के माध्यम से विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीतियों निधारित की गयी है। टाउनशिप के विकास हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत /स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि भी स्वाभाविक रूप से आती है। प्रस्तावित टाउनशिप का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण आवश्यक होता है।

आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों को पुनर्ग्रहीत कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण को आवासीय नीतियों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि संबंधित विकासकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और विकासकर्ता का उक्त भूमि तृतीय पक्ष के लिए

-12-

42

हस्तान्तरित करने की छूट होगी और इस हेतु शासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है, तो तृतीय पक्ष को बिना पुनर्ग्रहण आदेश के हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि 60 दिन में पूर्ण कर ली जाय। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा समस्त अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 15 दिन के अन्दर परीक्षणोपरान्त स्पष्ट संस्तुति/सहमति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(12) प्रदेश में विद्युत एवं अवस्थापना विकास के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों क्षमता 33/11 के.वी. के साथ अन्य विभव के विद्युत उपकेन्द्रों यथा-132 के.वी., 220 के.वी., 400 के.वी. एवं 765 के.वी. की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियों यथा-चकरोड, रास्ता, नाली, नाला, पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि (वह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते) से आच्छादित भूमि को छोड़कर उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि को 01 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन/वितरण निगमों (मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केस्को व उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु संबंधित आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता निम्नवत् होगी-

(अ) 33/11 के.वी

(क) कवाल नगरों, बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालयों हेतु 1.50 एकड़

43

(ख) अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में		2.00	एकड़
(ब)	132 के.वी.	3.50	एकड़
(स)	220 के.वी.	10.00	एकड़
(द)	400 के.वी.	50.00	एकड़
(य)	765 के.वी.	82.00	एकड़

यदि प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना निजी संस्था के माध्यम से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार पट्टे पर उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 744 (1)/एक-1-2016-20(5)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

44

-1-

जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण के आदेशों का मानक आकार पत्र

आकार पत्र 1

आदेश

संख्या.............................. दिनांक ....

शासनादेश संख्या.......................... दिनांक......................... का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या .... दिनॉक.......... द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं.................... जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त............................ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक.......................... के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरणः-(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आज्ञा से,

(जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त का नाम)

> टिप्पणी- रिक्त स्थान में उन शासनादेश तथा दिनांक भरी जायेगी जिसके द्वारा पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी।

-2-

45

-2-

आकार पत्र 2

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा पुनर्ग्रहीत की गई भूमि का षटमासिक विवरण

30 जून, 20................../31 दिसम्बर, 20.....................को समाप्त होने वाला षटमास,
जिला ...., तहसील ....परगना...................

क्र0सं0	विभाग का नाम जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की गई	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की गई	ग्राम पंचायत	पुनर्ग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	पुनर्ग्रहीत की गई भूमि का मूल्य	पुनर्ग्रहीत की गई भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/ वार्षिक किराया
1	2	3	4	5	6	7

आकार पत्र 3

पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का गाटा संख्या, रकबा एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	ग्राम जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है	ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य	पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया	भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य जमा करने का विवरण	पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत किए जाने की तिथि व आदेश संख्या/विभाग जिसके लिए पुनर्ग्रहण किया गया	प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम सहित
1	2	3	4	5	6	7	8

O.A No. 1312/2022 46

312

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

In the matter of:

ABHIST KUSUM GUPTA ... Plaintiff(s)/ Petitioner(s)/ ... Appellant(s)/ Applicant(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ... Defendant(s)/ Respondent(s)

KNOW ALL to whom these presents shall come that I/WE PRASUN DWIVEDI - OSD FOR R. 5 the above named RESPONDENT- No. 5 do hereby appoint

Mr. ABDHESH CHAUDHARY (D/2498A/1999)
Ms. MANISHA SURI (D/412-H/2000)
Mr. NILENDU VATSYAYAN (D/2561/2005)
Mr. NISHIKANT SINGH (D/396/2016)
Ms. GEETANJALI SETIA (D/3817/2020)

ADVOCATES WELFARE FUND DELHI BAR COUNCIL OF DELHI 10 रु. Rs.10 दस रुपये 1852542 TEN RUPEES

ADVOCATES WELFARE FUND DELHI BAR COUNCIL OF DELHI 10 रु. Rs.10 दस रुपये 1852534 TEN RUPEES

ADVOCATE(S) for

CHAUDHARY LAW OFFICES

Office at : K-2017, (L.G.F), CHITTARANJAN PARK,
NEW DELHI – 110019; Ph. No. 011-41053797, (M) 9810075174
Email: chaudharylawoffices@gmail.com

₹1 NCT OF DELHI COURT FEE DLCT0825764H2230M 08-AUG-2022

Hereinafter called the Advocate(s) to be my/our Advocate(s) in the above noted case and authorize him/them:-

(1) To act, appear and plead in the above noted case in this Court, or any other Court to which the same may be transferred, or the Court where the same may be tried or heard and also in the appellate Courts.
(2) To accept notice/process of Court on my behalf.
(3) To sign, file and present all pleadings, replications, rejoinders, appeals, cross-objections, petitions, counter affidavits, objections, affidavits, applications, including applications for execution, restoration, withdrawal and compromise, or such other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.
(4) To file and take back documents.
(5) To withdraw or compromise the said case.
(6) To take out execution proceedings.
(7) To deposit, withdraw and receive moneys, cheques and other instruments and grant receipts therefor.
(8) To do all other acts and things as may be deemed necessary or required to be done in the course of prosecution of the said case.
(9) To appoint and instruct another advocate(s) and authorize him/her/them to exercise the powers and authority hereby conferred whenever the Advocate(s) may think fit to do so and to sign a power of attorney on my/our behalf for the said purpose.

And I/We do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.
And I/We the undersigned do hereby agree not to hold the Advocate(s) or his substitute responsible for the result of the said case.
And I/We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up.
IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my/our hand to these presents this the ...... day of ...., 2022.
Accepted subject to terms of fee.

(ABDHESH CHAUDHARY)

(MANISHA SURI)
E. No.D/412-H/2000
Mob.:9810075174

Signature of Client
Plaintiff(s)/ Petitioner(s)/ Appellant(s)/ Applicant(s)/ Defendant(s)/ Respondent(s)

प्रसून द्विवेदी
विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

(Above signature of Resp. 5 identified)

Nishi Kant Singh

Geetanjali Setia

(NISHIKANT SINGH) (NILENDU VATSYAYAN) (GEETANJALI SETIA)

₹2 NCT OF DELHI COURT FEE DLCT0811363H2231M 08-AUG-2022

ADVOCATES WELFARE FUND DELHI BAR COUNCIL OF DELHI 5 रु. Rs.5 पांच रुपये 2730249 FIVE RUPEES

47

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

प्रसून द्विवेदी
Prasun Dwivedi
जन्म तिथि / DOB: 02
पुरुष / MALE

मेरा आधार, मेरी पहचान

प्रसून द्विवेदी
विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

48

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947,
Bengaluru-560 001

प्रसून द्विवेदी
विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

49

Gmail

CHAUDHARY LAW OFFICES <chaudharylawoffices@gmail.com>

Advance Service of Short reply/Counter Affidavit on behalf of Respondent no. 5/ New Okhala Industrial Development Authority

1 message

CHAUDHARY LAW OFFICES <chaudharylawoffices@gmail.com> Tue, Oct 11, 2022 at 11:26 PM
To: "sjmathews@gmail.com" <sjmathews@gmail.com>

In re: O.A. no. 177 of 2022 titled as Abhist Kusum Gupta. vs. State of UP & Ors.

Dear Sir,

Enclosed please find attached the short reply/counter affidavit for and on behalf of the respondent no. 5/New Okhala Industrial Development Authority in the aforesaid matter.

Kindly acknowledge the same.

Regards
Geetanjali Setia
Advocate

--
for Chaudhary Law Offices
Advocates
K-2017,(LGF)
Chittaranjan Park
New Delhi-110 019.
+91-11-41053797

Confidentiality Note: This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient or an employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by e-mail and delete the original message. Thank you

NOIDA AUTHORITY - REPLY (FINAL PDF) (1).pdf
17203K